| | |
|---|---|
| 17/3/26 | पत्रावली पेश हुई। डाली डा० पत्र स्थापित किया जाता है। किन्तु निर्णय स्थगन के लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली स्टैण्डिंग शुमार होकर नेक्स्ट से क्रम होकर वाकिफ इन्तजारी। आदेश सुनाया गया। |
| | (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी करौली (राज०) |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, करौली (राज0)

## पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी, करौली

मु0न0:–189 / 25 तारीख रजू:–24.11.25

उनवान

1. कमला पत्नि प्रभु आयु 80 साल
2. गोपाल पुत्र प्रभु आयु 58 साल
3. चौथी पत्नि कजोडया आयु 68 साल
4. छोटे पुत्र प्रभु आयु 24 साल
5. जगदीश पुत्र प्रभु आयु 27 साल
6. बाबू पुत्र कजोडया आयु 65 साल
7. मंगली पुत्री प्रभु आयु 32 साल
8. मदनमोहन पुत्र प्रभु आयु 30 साल
9. लक्ष्मण पुत्र कजोडया आयु 80 साल
10. लल्लो पुत्री प्रभु आयु 35 साल

सभी जातियान कोली निवासीयान गैरई तहसील व जिला करौली राज0

——वादीगण / प्रार्थीगण

**बनाम**

1. रामेश्वर पुत्र मंगल जाति माली आयु 60 साल
2. सोनू पुत्र रामेश्वर माली आयु 35 साल
3. राजेश पुत्र रामेश्वर माली आयु 32 साल
4. चन्द्रकला पत्नि रामेश्वर आयु 60 साल
   जाति माली निवासी गैरई तहसील व जिला करौली
5. रामधन पुत्र जोहरी आयु 55 साल जाति माली निवासी गैरई तहसील व जिला करौली राज0
6. तहसीलदार करौली लैण्ड होल्डर

–अप्रार्थीगण

**–::प्रार्थना पत्र तहत धारा 251 (ए) आर टी एक्ट::–**

**–::निर्णय::–** दिनांक:– 17/3/26

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी वा कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 292 रकवा 0.4679 वारानी ए वाके ग्राम गैरई तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के हक व हिस्सा है। जिसको जोतने बोने के लिए रास्ता अप्रार्थी नं0 1 रामेश्वर दत्तक पुत्र मंगल माली निवासी गैरई की खातेदारी की

उपखण्ड अधिकारी करौली (राज0)

जमीन खसरा नं0 291 रकवा 0.3541 बारानी ए की मेढ की बगल से करीब 20 फुट चौडा रास्ता पचासो साल पहले का बना हुआ है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी को जोतने बोने काश्ता सामान लाने ले जाने ट्रेक्टर ट्रोली कृषि सामान यंत्र लाने ले जाने लिए 291 के अलावा अन्य दूसरा रास्ता नही है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 के लिए गैरसायलान नं0 1 के खेत खसरा नं0 291 जो लवे सडक से हगेमा है उक्त सडक से खसरा नं0 291 मे होकर हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 मे रास्ता आने जाने कृषि सामान लाने ले जाने का शुरू से बना हुआ हैं। जिसमें बदस्तूर हम आ रहे व जा रहे हैं। सायल नं0 1 लगायत 5 लाठी वाले आदमी वाले है राज वा कानून से निडर है हम जाति से कोली है अनु0 जाति की श्रेणी मे आते है ये लोग हमारा दमन कर रहे है तथा हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 में खसरा नं0 291 में होकर नही आने जाने में रूकावट डाल रहे है। जबकि इस खसरा नं0 291 के अलावा कोई रास्ता हमारी काश्ता जमीन को आने जाने व काश्ता सामान टेक्टर उंटगाडी व अन्य काश्ता यंत्र लाने ले जाने का नही है। दिनांक 17.11.2025 को सुबह हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 के अंदर गेहूं बोने के लिए टेक्टर खसरा नं0 291 मे होकर अपने खेत को टेक्टर ले गये जिसको विष्णु चला रहा था तो इन सभी गैरसायलानों ने लाठी व गण्डासी से टेक्टर को गेहूं बोने से रोक दिया और हमारी दो थैली दो कटटा गेहूं का बीज जिनमें 40–40 किलो गेहूं था उसको जबरदस्ती छीन लिया। हमारी चरी फावडे खुरपी को चुराकर ले गये और हमारी जमीन खसरा नं0 292 मे गेहूं बोने से रोक दिया और भगा दिया। विनाय मुखासमत दिनांक 17.11.2025 को जब प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा नं0 292 में गेहूं बोने के लिए खसरा नं0 291 में सडक से 291 की मेढ से हमारे खेत में प्रवेश करने पर रोकने वा खेत मे गेहूं बोने से रूकावट डालने और ये कहने पर कि अब हमारे खेत में होकर तुमको रास्ता नही देगें नाही टेक्टर को वा कृषि सामान को लाने ले जाने देगें। इसी विनाय पर प्रार्थीगण को विनाय मुखासमत पैदा हुई है इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खाते की जमीन 292 को जोतने बोने के लिए काश्ता सामान ले जाने के लिए गैरसायलान अप्रार्थीगण के खाते की जमीन

करौली (राज.)

खसरा नं0 291 आम रास्ते से डोल 291 की बगल से 20 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण रास्ते के अंदर जो भी जमीन सडक से लेकर हमर खेत खसरा नं0 292 तक जाने के लिए 20 फुट चौडे रास्ते के अंदर जो जमीन आती है उसका सरकारी मूल्य जमा कराने को तैयार है। उक्त रास्ता वरंग सूर्ख लाल से बताया गया है। हमारी खातेदारी की जमीन की जाने के लिए रास्ता नियमानुसार स्वीकृत प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 291 जो लाल स्याही से दर्शाया गया है उसमें रास्ता 20 फुट चौडा स्वीकृत फरमाने की कृपा करें। खातेदारी घीसी, रूक्मणी, शारदा, संतरा फौत हो चुकी है। इसलिए पक्षकार नही बनाया है। अंत में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीयान को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जबाव पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण का जबाव दिनांक 13.03.2026 का बंद किया गया।

बहस वकील सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील प्रार्थी का बहस में कथन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी वा कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0 292 रकवा 0.4679 वारानी ए वाके ग्राम गैरई तहसील व जिला करौली में स्थित है जिसमें प्रार्थीगण के हक व हिस्सा है। जिसको जोतने बोने के लिए रास्ता अप्रार्थी नं0 1 रामेश्वर दत्तक पुत्र मंगल माली निवासी गैरई की खातेदारी की जमीन खसरा नं0 291 रकवा 0.3541 बारानी ए की मेढ की बगल से करीब 20 फुट चौडा रास्ता पचासो साल पहले का बना हुआ है जिसमें होकर प्रार्थीगण अपनी खातेदारी कब्जे काश्त की आराजी को जोतने बोने काश्ता सामान लाने ले जाने ट्रेक्टर ट्रोली कृषि सामान यंत्र लाने ले जाने लिए 291 के अलावा अन्य दूसरा रास्ता नही है प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 के लिए गैरसायलान नं0 1 के खेत खसरा नं0 291 जो लवे सडक से हगेमा है उक्त सडक से खसरा नं0 291 मे होकर हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 मे रास्ता आने जाने कृषि सामान लाने ले जाने का शुरू से बना हुआ हैं। जिसमें बदस्तूर हम आ रहे व जा रहे हैं। सायल नं0 1 लगायत 5 लाठी वाले आदमी वाले है राज वा कानून से निडर है हम जाति से कोली है अनु0 जाति

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

की श्रेणी मे आते है ये लोग हमारा दमन कर रहे है तथा हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 मे खसरा नं0 291 मे होकर नही आने जाने मे रूकावट डाल रहे है। जबकि इस खसरा नं0 291 के अलावा कोई रास्ता हमारी काश्त जमीन को आने जाने व काश्त सामान टेक्टर ट्राली व अन्य काश्त यंत्र लाने ले जाने का नही है। दिनांक 17.11.2025 को सुबह हमारी खातेदारी की जमीन खसरा नं0 292 के अंदर गेहू बोने के लिए टेक्टर खसरा नं0 291 मे होकर अपने खेत को टेक्टर ले गये जिसको विष्णु चला रहा था तो इन सभी गैरसायलानों ने लाठी व गण्डासी से टेक्टर को गेहूं बोने से रोक दिया और हमारी दो थैली दो कट्टा गेहू का बीज जिनमें 40–40 किलो गेहू था उसको जबरदस्ती छीन लिया। हमारी वरी फावडे खुरपी को चुराकर ले गये और हमारी जमीन खसरा नं0 292 मे गेहूं बोने से रोक दिया और भगा दिया। विनाय मुखासमत दिनांक 17.11.2025 को जब प्रार्थीगण द्वारा अपने खेत खसरा नं0 292 में गेहू बोने के लिए खसरा नं0 291 में सडक से 291 की मेढ से हमारे खेत में प्रवेश करने पर रोकने वा खेत मे गेहूं बोने से रूकावट डालने और ये कहने पर कि अब हमारे खेत में होकर तुमको रास्ता नही देगें नाही टेक्टर को वा कृषि सामान को लाने ले जाने देगें। इसी विनाय पर प्रार्थीगण को विनाय मुखासमत पैदा हुई है इसलिए यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रार्थीगण अपनी खाते की जमीन 292 को जोतने बोने के लिए काश्त सामान ले जाने के लिए गैरसायलान अप्रार्थीगण के खाते की जमीन खसरा नं0 291 आम रास्ते से डोल 291 की बगल से 20 फुट चौडा रास्ता प्राप्त करने के अधिकारी है। प्रार्थीगण रास्ते के अंदर जो भी जमीन सडक से लेकर हमर खेत खसरा नं0 292 तक जाने के लिए 20 फुट चौडे रास्ते के अंदर जो जमीन आती है उसका सरकारी मूल्य जमा कराने को तैयार है। उक्त रास्ता वरंग सूर्ख लाल से बताया गया है। हमारी खातेदारी की जमीन की जाने के लिए रास्ता नियमानुसार स्वीकृत प्रदान किया जाकर राजस्व रिकार्ड में खसरा नं0 291 जो लाल स्याही से दर्शाया गया है उसमें रास्ता 20 फुट चौडा स्वीकृत फरमाने की कृपा करें। खातेदारी घीसी, रूक्मणी, शारदा, संतरा फौत हो चुकी है। इसलिए पक्षकार नही बनाया है। अंत में प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

बहस वकील उभयपक्ष का मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी एवं रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 29.2.2026 का अवलोकन कर विवेचन किया गया। तहसीलदार, करौली द्वारा खसरा नंबर 267 आम रास्ते से खसरा नंबर 292 में जाने के प्रस्तावित रास्ते को खसरा नंबर 290 व 291 में होकर बताया है। जबकि प्रार्थीयान द्वारा खसरा नंबर 290 के खातेदारान अमरसिंह, जयसिंह पुत्रान जौहरी एवं रूमाली पत्नि रामकिशोर जाति माली निवासी मैग्जीन को प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया है। उन्हें पक्षकार बनाये बिना प्रार्थीयान खसरा नंबर 290 में रास्ता प्राप्त करने के हकदार नहीं है। प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान पक्षकारों के कुसंयोजन होने चलने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीयान पक्षकारों के कुसंयोजन के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

**निर्णय आज दिनांक** 17/3/26 **को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।**

(प्रेमराज मीना)
उपखण्ड अधिकारी,
करौली